26

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं /2017 पुनर्विलोकन

1. आत्माराम पुत्र स्व. शेषमणि बैसवार
2. मथूराराम पुत्र स्व. शेषमणि बैसवार

दोनों निवासी ग्राम ओड़गड़ी तहसील देवसर जिला सीधी (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. बुद्ध सिंह पुत्र बाबूलाल सिंह
2. सहदेव पुत्र बाबूलाल सिंह

दोनों निवासी ग्राम बाधाडीह तहसील देवसर जिला सीधी (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि 4-5-17 ...को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4.5.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

माननीय सदस्य श्री के.सी. जैन राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा निगरानी प्र.कं. 36–तीन/97 में पारित आदेश दिनांक 14.7.16 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कुछ ऐसी प्रत्यक्षदर्शी त्रुटियां है जिनके कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है।

2– यह कि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमो एवं किये गये मौखिक तर्को पर विचार एंव विनिश्चयन माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में नहीं किया गया है इस कारण इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनिर्वलोकन योगय है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1321–दो/2017 जिला –सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-18	आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2–यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 36–तीन/1997 में पारित आदेश दिनांक 14.7.16 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक रिव्यु 1321–दो/2017 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 36–तीन/97 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 14.7.16 से किया जा चुका है। 4– प्रकरण कमांक रिव्यु 1321–दो/2017 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं।	

उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता हैः–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य